राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर

227 द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर
Tel. & Fax: 0141-2740095, 2740098, 2741679
E-mail: confedmd@gmail.com

No.: CONFED/CS/8922 Date : 15.03.2022

NOTICE INVITING BID

CONFED, Jaipur invites an Open Competitive Bid for Procurement of Processe Food (Nurtition Food) from Manufacturers of Supplementary Nurtition Food and Door Step Delivery to all Anganwadi Centers in Rajasthan. Value of Tender Rs. 1000 Cr. (One Thousand Crore) approx. from MSME Registered in Rajasthan up to 25.03.2022 at 6.00 PM. For details visit: http://sppp.rajasthan.gov.in and www.eproc.rajasthan.gov.in.
UBN: CCF2122GLOB00018

Managing Director

7. सूक्ष्म, लघु और मंध्यम उद्यमों से उपापन के आंकड़े नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक उपापन संस्था उनकी अपनी उपापन योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से पूर्ति किये जाने वाले उपापन और उससे संबंधित उपलब्धियों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करेगी।

8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथा उल्लिखित उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति रखने वाले राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कारबार करने की संव्यवहार लागत को कम करने को, उद्यमी ज्ञापन–II/उद्योग आधार ज्ञापन की अभिस्वीकृति की स्वयं द्वारा अनुप्रमाणित प्रतिलिपि निम्नरूप से या राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में यथा संशोधित रूप में प्रस्तुत करने पर, सुगम बनाया जायेगा :–

(क) बोली दस्तावेज विहित लागत के 50 प्रतिशत पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपलब्ध कराया जायेगा ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) दर पर होगी ; और

(ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम की 1 प्रतिशत दर पर होगी।

[2][(घ) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान खण्ड (ख) या, यथास्थिति, (ग) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले प्रस्तावित परिमाण के मूल्य के 0.25 प्रतिशत की दर पर और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम के 0.5 प्रतिशत की दर पर होगी।]

9. (क) अनुसूची में सम्मिलित माल के उपापन के लिए जारी बोली आमंत्रण नोटिस की दो प्रतियां कार्यालय उद्योग आयुक्त, राजस्थान को सदैव भेजी जायेंगी, जो उसे उद्योग विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने की और इसे आगे राज्य के समस्त जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों को भेजने की व्यवस्था करेगा;

(ख) अनुसूची में सम्मिलित से भिन्न माल के लिए, जहां कहीं भी उपापन संस्था की यह राय हो कि सूक्ष्म और लघु उद्यम किसी विशिष्ट बोली आमंत्रण नोटिस के विरूद्ध बोली लगा सकते हैं, तो प्रत्येक ऐसे बोली आमंत्रण नोटिस की दो प्रतियां उद्योग विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के लिए उद्योग आयुक्त को भेजी जायेंगी।

10. [1][इस अधिसूचना के अधीन क्रय अधिमानता को चाहने के क्रम में,] प्ररूप 'क' में यथा विहित आवेदन, स्थानीय उद्यम द्वारा संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को या उद्योग विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो सम्यक् तत्परतापूर्वक परीक्षण के पश्चात् उसके लिए सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परन्तु इस संबंध में किसी शिकायत की दशा में, व्यथित आवेदक द्वारा सादे कागज पर अपील आयुक्त, उद्योग विभाग या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को फाइल की जा सकेगी।

11. प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उपापन संस्था को सम्यक् रूप से भरे गये बोली दस्तावेज के साथ प्ररूप 'ख' में एक शपथपत्र प्रस्तुत करे।

12. अपेक्षित उपापन के लिए, सूक्ष्म, लघु या, यथास्थिति, मध्यम उद्यम को कार्य प्रस्ताव जारी करने के पूर्व उपापन संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग विभाग के अधीन जिला उद्योग अधिकारी से अनिम्न रैंक के समुचित प्राधिकारी को निवेदन कर सकेगी कि उक्त उद्यम, जिससे उपापन किया जाना है, के पास बोली दस्तावेज में यथा अपेक्षित मात्रात्मक और गुणवत्ता निबन्धनों में आवश्यक उत्पादन क्षमता है। उद्योग विभाग ऐसे मामले में संबंधित उपापन संस्था को अपेक्षित सहयोग उपलब्ध करवायेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 द्वारा विद्यमान अभिव्यक्ति *"इस अधिसूचना के अधीन कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों को चाहने के क्रम में,"* के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, राजस्थान राजपत्र विशेषांक 4(ग)(।।) दिनांक 4.9.2018 में प्रकाशित।
2. अधिसूचना संख्या प.2(1) वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 13.8.2020 द्वारा जोड़ा गया।